क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)
UKPCB
Ph No.- 05946-225618, Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in Email- ro.haldwani@gmail.com

Ref: UKPCB/ROH/ R-120/21/3499-1576 Dt- 02/02/21

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

विषय – मै0 राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, ग्राम–सिमखेत, तहसील व जिला–बागेश्वर की लोक सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्यालय के पत्रांक यूईपीपीसीबी/एच.ओ./एन.ओ.सी– 7268/2020/1138 दि. 26.11.20 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त पत्र के अनुक्रम में दिनांक 05.01.2021 को अपर जिला अधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया।

उक्त लोक सुनवाई का कार्यवृत्त, इस दौरान की गयी विडियोग्राफी/फोटोग्राफी तथा जन सामान्य की उपस्थिति (तीन प्रतियों में) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 आर.के. चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी, बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

**मै0 राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, ग्राम–सिमखेत, तहसील व जिला– बागेश्वर, उत्तराखण्ड़ के पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 05.01.2021 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।**

मै0 राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, ग्राम–सिमखेत, तहसील व जिला– बागेश्वर, उत्तराखण्ड सोप स्टोन माईनिग प्रोडक्ट (4.486 हेक्टेयर क्षेत्रफल) में खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान तथा हिन्दुस्तान टाइम्स दि0 16.02.2020 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ई0आई0ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतिया जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तद्क्रम में दि. 20.03.2020 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई थी, प्रस्तावित जन सुनवाई कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत लाकडाउन के कारण स्थगित कर दी गयी थी। उक्त जन सुनवाई 03.12.2020 को प्रस्तावित की गई जो अपरिहार्य कारणों स्थगित कर पुनः लोक सुनवाई अपर जिलाधिकरी बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 05.01.2021 को प्रातः 11:00 बजे, पंचायत घर सिरौली, धिंघारतोला में स्थित रामलीला मैदान में आयोजित किया गया। लोक सुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी के सहायक वैज्ञानिक अधिकारी हरीश चन्द्र जोशी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावो तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी बागेश्वर श्री हेमन्त कुमार वर्मा तथा अन्य उपस्थित अधिकारीगणो का स्वागत किया। तथा परियोजना के संबंध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मैसर्स ईको लैब्रोट्रीज एण्ड कन्सल्टेन्ट प्रा. लि. के श्री भुवन जोशी द्वारा प्रस्तावित सोप स्टोन माइनिग परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा कहा गया कि इस परियोजना से स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा तथा प्रस्तावित खनन परियोजना में सम्भावित पर्यावरणीय पहलुओं का मूल्यांकन किया गया है व प्रस्तावित परियोजना से सामूहिक रूप से आर्थिक विकास होगा। परियोजना में खनन उपलब्ध आधुनिक तकनीकी से किया जायेगा, जिससे क्षेत्र में प्रस्तावित खनन परियोजना से पर्यावरण के क्षेत्र में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित समुदाय से उनके सुझाव आपत्तिया एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई तथा अवगत कराया गया कि सुझाव आपत्तिया टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थिति जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत है।

1. श्री लक्ष्मण, ग्राम–धिंघारतोला, बागेश्वर– श्री सिंह के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार हेतु लोग पलायन कर रहे है, प्रस्तावित परियोजना में नौकरी का अच्छा प्राविधान किया गया है। इससे स्थानीय युवा लोगों को रोजगार मिलेगा। इस कम में पर्यावरण सलाहाकार द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार तथा वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा।

2. श्री अशोक कुमार, ग्राम–सिरौली, बागेश्वर– श्री कुमार द्वारा कहा गया कि खनन कार्य अच्छी बात है, जिससे युवा लोगों को रोजगार मिलेगा। जो युवा बाहर जा रहे है उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

3. श्री केवलानन्द तिवारी, ग्राम–सिमखेत, बागेश्वर– श्री तिवारी द्वारा कहा गया कि खड़िया का खनन कहा पर होगा यह हमें पता नहीं है। इस कम में इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र सिमखेत में है तथा इसका क्षेत्रफल 4.486 हैक्टेयर है। इस पर श्री तिवारी द्वारा कहा गया कि नीचे गॉव है तथा ऊपर खड्डा पड़ जायेगा उसका क्या होगा। पहले उसमे खनन किया था, उसमें गड्डा बन गया है और उसमें पानी भर गया था, जिससे पानी का श्रोत दूसरी जगह निकल गया। अगर इसमें खनन होगा तो हमें पानी कहॉ से मिलेगा तथा मकान धसने की स्थिति में क्या मिलेगा। इस पर इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना को सही तरीके से संचालन कराया जायेगा। खनिज को निकाला जाना विकास के लिए आवश्यक है। वृक्षारोपण तथा पर्यावरण की क्षति की पूर्ति भी की जायेगी। ये सब प्रस्तावित खनन परियोजना में प्रस्तावित है। अगर प्रस्तावक द्वारा इनका अनुपालन नहीं किया गया तो आप इनकी शिकायत कर सकते है। प्रस्तावक द्वारा वैज्ञानिक ढंग से खनन कार्य किया जायेगा।

4. श्री बुद्धि बल्लभ कर्नाटक (पूर्व हवलदार), ग्राम–सिरौली, बागेश्वर– श्री कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित खनिज परियोजना में बागवानी होनी चाहिए और मकानो के आस–पास पेड़ लगाने चाहिए। पेड़–पौधो को लगाना आवश्यक है, तभी हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते है। प्लास्टिक का भी ध्यान रखा जाना चाहिए तथा उसका उचित निस्तारण किया जाना चाहिए।

5. श्री नन्दा बल्लभ तिवारी–ग्राम–सिमखेत, बागेश्वर– श्री तिवारी द्वारा उपस्थिति सभी लागों का स्वागत करते हुए कहा गया कि जन सुनवाई एक अच्छा पहल है, जिसमें हम सभी लोग अपनी बात रख सकते है। मेरा मानना है कि सोप स्टोन के खनन होने से हमें कई फायदे है। इससे सरकार का राजस्व मिलता है। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलता है तथा पर्यावरण हेतु पेड़–पौधो की व्यवस्था की जाती है। खड़िया खनन प्रस्तावित तरीके से करने से हमें कोई नुकसान नहीं है। इससे खड़िया निकालने, गड्डे भरने की व्यवस्था है। पर्यावरण को नुकसान की भरपाई आदि की व्यवस्था की गई है। जिला खनन न्यास में जो पैसा जाता है वह मिलेगा, जिससे स्कूल मन्दिर मार्ग का कार्य होना तथा अन्य उपस्थिति लोगों से अनुरोध किया गया, जो समस्या है उसे अवगत कराये तथा इस परियोजना से रोजगार बढ़ाये तथा गॉव का विकास होगा।

6. श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी (प्रस्तावक), ग्राम–सिमखेत, बागेश्वर– श्री तिवारी द्वारा अवगत कराया गया कि मेरे द्वारा वृक्षारोपरण फलदार वृक्षो का किया जाता है तथा जिला खनन न्यास द्वारा रास्ते, पेय जल आदि कार्यो में पैसा प्राप्त हो सकता है तथा गॉव में अन्य आपदाओं के लिये उक्त मद में पैसा मिलता है। शिक्षा स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए अग्रिम धनराशि का प्राविधान है तथा कहा गया है कि अन्य गॉव स्तर पर आवश्यकता के अनुसार कार्य को पूर्ण किया जायेगा।

तद्पश्चात अपरजिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा पुनः लोगो से सुझाव व मौखिक/लिखित में देने को कहा गया तथा अन्य टीका टिप्पणी सुझाव प्राप्त न होने पर उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की विडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी
उ0प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी।

(हेमन्त कुमार वर्मा)
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।

Date ___/___/______ Page No.: 4

मैं० राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, ग्राम- सिमखेत, तहसील व जिला-बागेश्वर (सोप स्टोन माइनिंग 4.486 है०) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण—

दिनांक- 05.01.2021 समय प्रातः- 11:00 बजे
सुनवाई स्थल- पंचायतघर, सिरौली, घिघारूतोला, बागेश्वर

| क्रमांक | नाम | पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री हेमन्त कुमार वर्मा | ADM बागेश्वर | [illegible] |
| 2. | श्री हरीश चन्द्र जोशी | ASO, उ० प्र० नि० बोर्ड, हल्द्वानी | [illegible] |
| 3. | चन्द्रवल्लभ जोशी | MA उ० प्र० नि० बोर्ड, हल्द्वानी | [illegible] |
| 4. | [illegible] | RI / MT Kaf / RI Bag | [illegible] |
| 5. | [illegible] कुमार | रा० इ० का० घिघारूतोला | [illegible] |
| 6. | भुवन जोशी | [illegible] | [illegible] |
| 7 | विवेक कुमार | बागेश्वर | Vivek |
| 8 | मनोज जोशी | बागेश्वर | [illegible] |
| 9 | Buddhi Ballabh | Sub[illegible] | [illegible] |
| 10 | Ashok kumar | Sireli | [illegible] |
| 11 | गिरीश प्रसाद | सिरौली | [illegible] |
| 12 | नवीन प्रसाद | सिरौली | [illegible] |
| 13 | किशन राम | सिरौली | किशन |
| 14 | पवन तिवारी | सिमखेत | Pawan |
| 15 | हंसा दत्त तिवारी | सिमखेत | हंसा |
| 16 | [illegible] तिवारी | सिमखेत | [illegible] |
| 17 | नवीन चन्द्र [illegible] | सिमखेत | [illegible] |
| 18 | [illegible] | घिघारूतोला | [illegible] |
| 19 | राजेन्द्र प्रसाद तिवारी | सिमखेत (mine owner) | [illegible] |
| 20 | चम्पा देवी | सिमखेत | [illegible] |
| 21 | दीवा देवी | सिमखेत | दीवा |
| 22 | महेश्वर सिंह | सिमखेत | [illegible] |
| 23 | प्रेम सिंह | सिमखेत | [illegible] |
| 24 | कैलाश चन्द्र जोशी | सिमखेत | [illegible] |

Date ___/___/___ 

| क्रमांक | नाम | पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 25 | चन्दन तिवारी | सिमरखेत | [illegible] |
| 26 | शंकर सिंह | मुनघोली | Shy[illegible] |
| 27 | माधवानन्द जोशी | सिमरखेत | [illegible] |
| 28 | केवल कार्की | सिमरखेत | केवल[illegible] |
| 29 | दीपक [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 30 | लोकेश तिवारी | सिमरखेत | [illegible] |
| 31 | दीप चन्द्र तिवारी | सिमरखेत | [illegible] |
| 32 | गणेश चन्द्र तिवारी | " " सिमरखेत | G Tiwa[illegible] |
| 33 | महेन्द्र सिंह नेगी | U.K.P.C.B. H.Q.D | [illegible] |
| 34 | नवीन चन्द्र तिवारी | सिमरखेत | [illegible] |
| 35 | किशोर तिवारी | सिमरखेत | Kishe[illegible] |
| 36 | रोहित तिवारी | सिमरखेत | Rohit |
| 37 | प्रियांशु तिवारी | सिमरखेत | Briya[illegible] |
| 38 | मानस तिवारी | सिमरखेत | Man[illegible] |
| 39 | दीप चन्द्र पाठक | [illegible] | [illegible] |
| 40 | मनोज तिवारी | सिमरखेत | Mano[illegible] |